राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांक–प. 2(5)कार्मिक/क–2/2004 जयपुर, दिनांक : 1.07.2015

1. समस्त अति0 मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव।
2. समस्त विभागाध्यक्ष (सम्भागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर्स) सहित ।

परिपत्र

विषयः–अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षित बैकलॉग रिक्तियों को भरने के संबंध में।

कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र आदेश प. 15 (24) कार्मिक/क–2/75 दिनांक 09.10.2000 एवं समसंख्यक परिपत्र आदेश दिनांक 14.12.2000 के द्वारा समस्त नियुक्ति प्राधिकारियों को निर्देश प्रदान किये गये थे कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति दोनों के लिए सीधी भर्ती एवं पदोन्नति में बैकलॉग रिक्तियों को एक अलग तथा विशिष्ट समूह के रूप में माना जायेगा तथा इन्हें जिस वर्ष में भरा जा रहा है, उस वर्ष में होने वाली कुल रिक्तियों के आरक्षण की 50 प्रतिशत की सीमा निर्धारित करने में नहीं गिना जायेगा ।

इसी क्रम में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पदों को भरने तथा बैकलॉग रिक्तियों की सही प्रकार से गणना करने के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग द्वारा समय–समय पर दिशा–निर्देश प्रदान किये गये हैं। इन दिशा–निर्देशों के बावजूद भी राज्य सरकार के ध्यान में आया है कि कतिपय विभागों और नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा अ.जा./अ.ज.जा. की बैकलॉग रिक्तियों को समयबद्ध तरीके से भरने की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जिसके कारण विभागों में बैकलॉग रिक्तियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है।

अतः समस्त नियुक्ति प्राधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड एवं अन्य के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों को शीघ्र भरने की कार्यवाही करें तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बैकलॉग को भी नियमानुसार गणना कर भरने की कार्यवाही करें तथा भर्ती के संबंध में की गई कार्यवाही एवं प्रेषित अर्थनाओं की सूचना से कार्मिक (क–2) विभाग को अवगत करावें। यदि किसी प्रकरण में बैकलॉग भरने की कार्यवाही में कोई परेशानी/बाधा आ रही है, तो उसका भी उल्लेख करावें।

(सी0एस0 राजन)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. प्रमुख सचिव, राज्यपाल, राजस्थान।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, राजस्थान।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव/निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिवगण।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. सचिव, राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर।
6. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।

शासन सचिव

Ganesh ji//2015/Circular--12

33/2015